



ICTS

INTERNATIONAL
CENTRE *for*
THEORETICAL
SCIENCES

TATA INSTITUTE OF FUNDAMENTAL RESEARCH

कार्यस्थल पर महिलाओं में यौन उत्पीड़न की रोकथाम तथा
समाधान के लिए इकाई का गठन (CPRSHWW)

=====

Rama Govindarajan (Convenor)

rama@icts.res.in
4653 6370

Parul Sehgal

parul.sehgal@icts.res.in
4653 6011

Manas Kulkarni

manas.kulkarni@icts.res.in
4653 6220

Spenta R.Wadia

spenta.wadia@icts.res.in
4653 6010

Urbashi Satpathi

urbashi.satpathi@icts.res.in
4653 6173

Hemalata Mahishi

hemalata_mahishi@yahoo.com

कार्यस्थल पर महिलाओं में यौन
उत्पीड़न की रोकथाम तथा समाधान
के लिए दिशानिर्देश

ICTS-TIFR अपने कर्मचारियों, छात्रों तथा मेहमानों के लिए एक पेशेवर शिक्षण और कार्य परिवेश को बनाए रखने के प्रति वचनबद्ध है। यौन उत्पीड़न शिकायत प्रकोष्ठ का अधिदेश (उद्देश्य) स्त्री-पुरुष के आधार पर भेदभाव तथा अनुचित यौन आचरण की रोकथाम करना है। इस उद्देश्य को स्त्री-पुरुषों के प्रति संवेदनशीलता तथा समस्त ICTS कर्मचारियों के बीच न्याय को बढ़ावा देकर प्राप्त किया जा सकता है। ICTS के सदस्य के रूप में आपको निम्नलिखित बिन्दुओं की जानकारी होनी चाहिए।

यौन उत्पीड़न क्या होता है?

यौन उत्पीड़न में अवांछित यौन उन्मुख व्यवहार, फिर चाहे यह प्रत्यक्ष रूप से हो अथवा अप्रत्यक्ष रूप से, शामिल होता है और इसमें शारीरिक संपर्क और प्रस्ताव, यौन संबंध बनाने की मांग या अनुरोध, यौन प्रेरक टिप्पणियां, अश्लील चित्रों (वीडियो) आदि का प्रदर्शन, और अन्य अवांछित शारीरिक, मौखिक या गैर-मौखिक यौन उन्मुख आचरण भी शामिल हैं।

इसमें निम्नलिखित स्थितियां भी शामिल होती हैं:

- जब अवांछित यौन प्रस्तावों, यौन संबंध बनाने के अनुरोधों, और यौन प्रकृति के मौखिक या शारीरिक आचरण, स्पष्ट या निहितार्थ रूप से किसी निर्देश, नियोजन, भागीदारी, या किसी शैक्षणिक या परिसर में होने वाली गतिविधि में भागीदारी के मूल्यांकन की शर्त बना दिया जाता है;
- जब अवांछित यौन प्रस्तावों और मौखिक, गैर-मौखिक या शारीरिक आचरण जैसे यौन निहित टिप्पणियां, लांछन, टिप्पणियां या चुटकुले, पत्र, फोन कॉल्स या ईमेल, भाव भंगिमाएं, अश्लील तस्वीरों (वीडियो) को दिखाना, गलत नज़रों से घूरना, शारीरिक संपर्क या छेड़छाड़, घूरना, अपमानजनक ध्वनियों या डिस्प्ले का उद्देश्य या प्रभाव किसी व्यक्ति के कार्य निष्पादन में हस्तक्षेप करना या परिसर में धमकी भरे, आक्रामक या घृणास्पद परिवेश का सृजन करना होता है।

उपरोक्त सूची सर्व समावेशी नहीं है।

शिकायत दर्ज करना

शिकायतों को मौखिक रूप से या लिखित में पेश किया जा सकता है जिसमें ईमेल, या समिति या ICTS संकाय के किसी सदस्य को पत्र लिखना शामिल है। मौखिक रूप से शिकायत करने वाले लोगों को उसे लिखित में पेश करने के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। शिकायत किसी पीड़ित व्यक्ति या तीसरे पक्ष (पीड़ित व्यक्ति की लिखित सहमति से) की जा सकती है।

समाधान

समिति द्वारा शिकायत प्राप्त किए जाने पर, एक जांच समिति का गठन किया जाएगा, जो मामले की समीक्षा करेगी/ संबंधित व्यक्ति(यों) के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करेगी और निर्धारित समय सीमा के भीतर इस मामले में आगे की कार्रवाई की सिफारिश करेगी। यदि यह पाया जाता है कि शिकायत झूठी है तो शिकायत करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध समिति कार्यवाही करेगी और दंड निर्धारित करेगी।

ICTS में स्वस्थ परिवेश को बनाए रखने के लिए कुछ सुझाव

न करने योग्य बातों की सूची (X)

- × किसी को भी शारीरिक रूप से न छुएं (बिना अनुमति) और ऐसा केवल तभी करें यदि दूसरे पक्ष द्वारा खुले तौर पर (और बिना किसी दबाव के) इस प्रकार के संपर्क की सहमति दी गई हो।
- × किसी भी व्यक्ति (स्त्री या पुरुष) या लोगों की श्रेणी के संबंध में किसी भी प्रकार के यौन टिप्पणियां या चुटकुले या अपमानजनक बात न करें।
- × किसी दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता से दी गई सहमति के बिना तस्वीर या वीडियो या मौखिक रिकार्डिंग्स न करें।
- × निजी यौन प्रकृति की किसी लिखित, मल्टीमीडिया, तस्वीरें, वीडियो या मौखिक रिकार्डिंग्स को ई-मेल, नियमित पोस्ट, या सामाजिक मीडिया या अन्य वेबसाइट्स पर साझा नहीं किया जा सकता है।
- × मिश्रित संकेत न भेजें- किसी भी असुविधाजनक/ अवांछित कार्रवाई के संबंध में अपने निर्णय पर अडिग और वचनबद्ध रहें।

करने योग्य बातों की सूची (✓)

- ✓ ICTS में सभी के साथ सम्मानयुक्त व्यवहार करें।
- ✓ किसी भी व्यक्ति द्वारा यह कहा जा सकता है कि किसी भी प्रकार के परस्पर संपर्क के दौरान कार्यालय के दरवाजे को खुला रखा जाए।
- ✓ किसी भी व्यक्ति द्वारा यह अनुरोध किया जा सकता है कि बैठकों या मुलाकातों का आयोजन कार्य के मानक घंटों के दौरान किया जाए और इस प्रकार का आयोजन एकांत स्थानों पर न किया जाए।
- ✓ किसी भी व्यक्ति द्वारा यह अनुरोध किया जा सकता है कि बैठकों और अध्ययन सत्रों का आयोजन भली भांति रोशनी वाली और सार्वजनिक जगहों पर किया जाए न कि ऐसे कमरों में जहां पर बाहर से सीमित पहुंच हो या ऐसे कमरों में जो किसी व्यक्ति के लिए निजी कक्ष के रूप में निर्धारित किए गये हैं (जैसे होस्टल में शयनकक्ष)।

=====

यह सोच कर शांत न रहें कि आपकी बात पर भरोसा नहीं किया जाएगा या आपका मज़ाक उड़ाया जाएगा

=====